

नेत्रहीन एवं बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के लिए आवेदन पत्र

नोट: आवेदन पत्र को केवल वही व्यक्ति भरे जो राज्य सरकार अथवा सरकार के किसी विभाग से अनुदान सहायता भत्ता न प्राप्त करते हों एवं उनकी शारीरिक व आर्थिक स्थिति सम्बंधित नियमावली में दिये गये नियमों के अनुकूल हो। आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर वांछित विवरण सूचना दिया जाना अनिवार्य है। समस्त सूचना सही व स्पष्ट दी जानी चाहिए। आवेदन पत्र अपने जिले में जिला समाज विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनके द्वारा निश्चित तिथि तक जमा किये जायेंगे। जिन प्रार्थना पत्रों में सत्य पूर्ण तथा वांछित सूचना नहीं दी जायेगी तथा आवेदन पत्र निर्धारित समय के भीतर कार्यालय में जमा नहीं किये जायेंगे, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

जिला तहसील.....नगर /ग्राम..... प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम,
स्थायी पता ग्राम/मोहल्ला.....पोस्ट.....
जिला.....
जाति(यदि अनु० जाति/अनु० जनजाति के हैं तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
प्रार्थी/प्रार्थिनी की जन्म तिथि(प्रमाण पत्र सहित).....
प्रार्थी/प्रार्थिनी की आयु वर्षों में.....
पिता का नाम
प्रदेश जिसके निवासी हैं.....
उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि.....
प्रार्थी/प्रार्थिनी के स्वास्थ्य की स्थिति व बाधिता के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.....
प्रार्थी/प्रार्थिनी निराश्रित है यदि हां तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें.....
प्रार्थी/प्रार्थिनी की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण.....
प्रार्थी/प्रार्थिनी की मासिक आय.....
प्रार्थी/प्रार्थिनी के अन्य सहायता.....

प्रार्थी/प्रार्थिनी को अन्य सहायता राज्य सरकार गैर सरकारी संगठन से प्राप्त होती है यदि हां तो उल्लेख करें.....

टिप्पणी: समस्त आवेदन पत्र अपने जिले के जिला/विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए / आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं |

- 1-प्रार्थी/प्रार्थिनी की शारीरिक बाधिता/चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा दिये जाये।(मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
- 2-आयु का प्रमाण पत्र
- 3-मासिक आय का प्रमाण पत्र
- 4-अधिवास का प्रमाण पत्र
- 5-चल/अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र
- 6-अनुबन्ध पत्र
- 7-परिवार के सदस्यों का विवरण
- 8-जाति का प्रमाण पत्र(यदि अनु० जाति/अनु० जनजाति से सम्बंधित हैं)तहसील द्वारा